UG SEMESTER : IV
MJC-06: WESTERN ETHICS
TOPIC - नैतिक कर्म

Dr. Akanksha
Assistant Professor
Department of Philosophy
H.D Jain College, Ara
Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar – 802301
Dated – 21.02.2025

नैतिक कर्म (Moral Action)

आचारशास्त्र का लक्ष्य मानव-आचरण के ऐसे आदर्श का निरूपण करना है जिससे मिलान करके किसी कर्म को उचित या अनुचित; शुभ या अशुभ ठहराया जा सके। वस्तुतः आचारशास्त्र का लक्ष्य मानव-आचरण के औचित्य-अनौचित्य का मूल्यांकन करना है। आचरणशास्त्र के अन्तर्गत तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा की जाती है - नैतिक कर्म (Moral action), नीतिशून्य कर्म (non-moral action) और अनैतिक कर्म (immoral action)। नैतिक मूल्यांकन उन्हीं कर्मों का होता है जिनमें नैतिक गुण अर्थात् शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित आदि का प्रश्न हो। साधारणतः जो कर्म नैतिक दृष्टिकोण से उचित हो, उसे नैतिक कहा जाता है। यह नैतिक का संकुचित अर्थ है। इस नैतिक का विपरीतार्थक शब्द अनैतिक (Immoral) है। जो कर्म नैतिक दृष्टिकोण से बुरा या अनुचित होता है उसे ही अनौचित्य अनैतिक कर्म कहते हैं। तीसरे प्रकार के कर्म जिसे नीतिशून्य कर्म (non-moral action) कहते हैं, वे नैतिक गुणों से रहित हैं। उन्हें उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ आदि नहीं कहा जा सकता है। अर्थात् ये नैतिकता के क्षेत्र से बाहर हैं।

★ नैतिक प्रत्यय का अर्थ → नैतिक कर्म की व्याख्या करने से पहले नैतिक प्रत्यय का अर्थ समझना जरूरी है। नैतिक प्रत्यय का प्रयोग दो अर्थों में होता है - संकुचित और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में सत् अथवा उचित को नैतिक कहते हैं और असत् अथवा अनुचित को अनैतिक कहते हैं। वस्तुतः आचारशास्त्र में नैतिक प्रत्यय का प्रयोग संकुचित अर्थ में नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक अर्थ में नैतिक का अर्थ नैतिक गुण सम्पन्न है। अर्थात् जिन कर्मों का नैतिक निर्णय हो सके तथा जिन्हें सत् या असत्, उचित या अनुचित, धर्म या अधर्म कहा जा सके, उन्हें ही नैतिक कर्म कहते हैं। P.B Chatterye says, "The word 'moral' means that in which moral quality rightness or wrongness, goodness or badness is present i.e, what is either right or wrong, good or bad." [Principles of Et]
इसी प्रकार J. N Sinha Says, "नैतिक का अर्थ है जिसमें नैतिक गुण वर्तमान हो"

अब स्वभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि कैसे कर्मों को नैतिक कर्म कहा जाता है? वस्तुतः ऐच्छिक कर्म (voluntary actions) तथा अभ्यासजन्य कर्म (habitual actions) नैतिक कर्म

कहलाते हैं।

ऐच्छिक कर्म ही नैतिक कर्म है:

अब प्रश्न उठता है कि ऐच्छिक कर्म का क्या तात्पर्य है? 'ऐच्छिक कर्म' वैसी क्रिया है जिसका कोई आत्मचेतन पुरुष स्वतंत्र रूप से संकल्प कर तथा साधन एवं हेतु के पूर्व ज्ञान के बाद चुनाव बुद्धिमानी से करता है। नैतिक कर्मों को ऐच्छिक कर्म भी कहते हैं। जिस कर्म में इच्छा-स्वातंत्र्य (Freedom of will) का अभाव रहता है वैसे कर्मों को अनैच्छिक कर्म कहते हैं। अनैच्छिक कर्म पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है अर्थात उन्हें अच्छा-बुरा, शुभ-अशुभ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऐच्छिक कर्म पर ही नैतिक निर्णय देना का लक्ष्य रहता है। ये ऐच्छिक कर्म उचित या अनुचित शुभ या अशुभ, अच्छा-बुरा की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

अभ्यासजन्य कर्म भी नैतिक कर्म है ऐच्छिक कर्म के अतिरिक्त अभ्यासजन्य कर्म भी नैतिक कर्म कहे जाते हैं। अभ्यासजन्य कर्म वे हैं, जो अभ्यास द्वारा किए जाते हैं। आरंभ में किसी कर्म को व्यक्ति इच्छा या संकल्प से करता है लेकिन जब बार-बार उस कर्म को करता है तो उस कर्म को करने की उसकी आदत बन जाती है। हालाँकि बाद में वैसे कर्म को करते हैं तो उस कर्म को करने के जिनका अभ्यास हो जाता है उसमें इच्छा, संकल्प या मानसिक द्वन्द्व नहीं होता है। फिर भी अभ्यासजन्य कर्म को नैतिक कर्म की श्रेणी में रखा जाता है; क्योंकि वैसे कर्मों के आरम्भ में इच्छा संकल्प आदि होता है। Eg :- आरंभ में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ही शराब पीना शुरू करता है, किन्तु बाद में बार-बार ऐसा करने से वह शराबी हो जाता है और शराब पीना उसका अभ्यासजन्य कर्म बन जाता है। इसलिए, अभ्यासजन्य कर्म को नैतिक कर्म के अन्तर्गत रखा जाता है।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि M.A नैतिक गुण सम्पन्न होता है। इसलिए नैतिक कर्मों पर ही नैतिक निर्णय दिये जाते हैं। नैतिक कर्म 2 ऐच्छिक एवं अभ्यासजन्य।

नैतिकशून्य कर्म

यह स्पष्ट है कि आचरणशास्त्र नैतिकता का विज्ञान है तथा मानव - आचरण के आदर्श का विज्ञान है। फिर भी कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसपर नैतिक निर्णय देना सम्भव नहीं है। वे नैतिकशून्य कर्म के अन्तर्गत आते हैं :- नैतिक शून्य कर्म की व्याख्या करने से पहले तीन प्रत्ययों पर विचार करना आवश्यक है :- नैतिक, ~~नैतिक~~ नीतिशून्य और अनैतिक। इन्हीं तीनों के अनुरूप कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं :- नैतिक कर्म (M. A), अनैतिक कर्म (Immoral A), नीतिशून्य कर्म (Non-moral A)

आचरणशास्त्र में 'नैतिक' प्रत्ययों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थात् नैतिक का अर्थ है नैतिक गुणसम्पन्न। जिन कर्मों का नैतिक निर्णय हो सके तथा जिन्हें सत् या असत्, उचित या अनुचित, पाप या पुण्य कहा जा सके, उन्हें नैतिक कर्म कहते हैं। नैतिक कर्म के विपरीत नीतिशून्य कर्म होते हैं। नीतिशून्य कर्म वे हैं जो नैतिक गुणों (जैसे- शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित, पाप और पुण्य) से रहित हैं। इन कर्मों पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है; नीतिशून्य का अर्थ अनैतिक नहीं है। अनैतिक का अर्थ है जो नैतिक दृष्टिकोण से अशुभ या अनुचित है। लेकिन नीतिशून्य कर्म नैतिकता के क्षेत्र के बाहर है। ऐसे कर्मों में इच्छा और संकल्प का अभाव होता है। अर्थात् अनैच्छिक कर्म ही नीतिशून्य कर्म कहे जाते हैं।

नीतिशून्य कर्म के प्रकार :-

निम्नलिखित कर्म नीतिशून्य के अन्तर्गत आते हैं :-

1) निर्जीव पदार्थों का कर्म (Actions of inanimate things)
निर्जीव पदार्थों का कर्म नीतिशून्य कर्म के अन्तर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें इच्छा शक्ति का अभाव रहता है। जैसे पर्वत, जाड़ा, गर्मी व इत्यादि की क्रियाओं पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

2) अबोध बालकों के कर्म (Actions of a child)
अबोध बालकों के कर्म पर भी नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बालकों के कर्म प्रेरणा, अभिप्राय, इच्छा, संकल्प से रहित होते हैं। I.P.C section 82-84 के अन्तर्गत "Nothing is an offence which is done by a

under seven years of age." यदि कोई बालक कोई कीमती वस्तु को तोड़ देता है या किसी व्यक्ति के साथ गलत शब्द का व्यवहार कर दे, तो उसके कर्म पर नैतिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अबोध बालकों के कर्म को नीतिशून्य कर्म के अन्तर्गत रखते हैं।

3) पागलों एवं विक्षिप्त के कर्म (Actions of insane person)
ऐसे व्यक्तियों के कर्मों के पीछे मानसिक संतुलन का अभाव चेतना, बुद्धि एवं ज्ञान का प्रखर रहना पाया जाता है। इसलिए इनके कर्म नीतिशून्य माने जाते हैं। In I.P.C it is said "Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing either wrong or contrary to law." यदि कोई मूर्ख या पागल किसी की हत्या कर दे तो उसे अपराधी नहीं माना जाता है, उसके कर्म को नैतिक दृष्टिकोण से उचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

4) प्रतिक्षेप क्रियाएँ (Reflex Action) - ऐसी क्रियाएँ भी नीतिशून्य क्रियाएँ कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएँ व्यक्ति बिना सोचे-विचारे सहज रूप से करता है। छींकना, आँखों का झपकना आदि इसी प्रकार की क्रियाएँ हैं। इस प्रकार की क्रियाएँ स्वयं सहज रूप से होते हैं। ऐसी क्रियाओं में इच्छा या संकल्प का अभाव रहता है। इन क्रियाओं को नैतिक निर्णय के बाहर रखा गया है।

5) अनियमित क्रियाएँ (Random actions) - ये क्रियाएँ आकस्मिक क्रियाएँ हैं। ये क्रियाएँ नीतिशून्य कही जाएंगी, क्योंकि इनमें नैतिक गुणों का अभाव होता है। इन्हें करने के लिए व्यक्ति को न तो संकल्प करना पड़ता है और न कोई परिश्रम करना पड़ता है। ये कर्म व्यक्ति द्वारा यों ही आकस्मिक रूप से होते हैं। जैसे - यदि किसी व्यक्ति के हाथ से घड़ी अचानक छूटकर गिर जाए और वह फट जाए। इसके लिए कर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

6) सहज क्रियाएँ - (Instinctive Action) - ये क्रियाएँ नीतिशून्य हैं। इन पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। जॉन डूवी ने सहज क्रिया की परिभाषा देते हुए कहा है कि;

"An instinctive act may be defined as one to which an individual feels himself impelled without knowing the end to be accomplished, yet with ability to select the proper means for its attainment."

किसी भयावह घटना को देखकर भयभीत हो जाना किसी नाटक के शोकपूर्ण दृश्य से आँखों में आँसू आ जाना ये सहज क्रियाएँ हैं, क्योंकि इसमें इच्छा या संकल्प का अभाव पाया जाता है।

6) विचार प्रत्यावर्ती क्रियाएँ (Idea-motor actions)

ये क्रियाएँ भी नीतिशून्य कहलाती हैं। क्योंकि ऐसी क्रियाएँ भी इच्छा या संकल्प का अभाव पाया जाता है, जैसे- खिलाड़ियों को देखकर उसकी जैसी क्रियाएँ करना, किसी किसी संगीतज्ञ के संगीत सुनकर झूम उठना आदि इसी प्रकार के कर्म हैं। इन क्रियाओं पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

7) दबाव या बाध्यता से वशीभूत होकर किये गए कर्म - (Action done under pressure or compulsion)

ऐसी क्रियाएँ भी नीतिशून्य क्रियाएँ कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं में इच्छा तथा संकल्प की स्वतंत्रता का अभाव होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पिस्तौल दिखाकर उससे कुछ अनुचित कार्य करवाना। इस व्यक्ति का कार्य नीतिशून्य है, क्योंकि वह स्वेच्छा से नहीं, बल्कि पिस्तौल के डर से काम करता है। इसलिए, इन्हें नीतिशून्य कहा जाता है।

8) पौधों या पशुओं के कर्म - इनमें आत्मचेतना और बुद्धि का अभाव पाया जाता है। जैसे यदि कोई कुत्ता किसी को काट ले या किसी वृक्ष के गिर जाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे कर्मों पर नैतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इन्हें नीतिशून्य कर्म कहते हैं।

9) सम्मोहितावस्था में किये गए कर्म (Actions done under hypnotic pressure). ऐसे कर्म भी नीतिशून्य कहलाते हैं, जब कोई व्यक्ति सम्मोहितावस्था में कोई कर्म करता है तब इस कर्म में उसका अपना संकल्प या इच्छा नहीं रहती। वह तो सम्मोहक द्वारा किए गए आदेशों का यन्त्रवत् पालन करता है। यहाँ कर्ता को न चेतना रहती है और न बुद्धि। उसे उचित या अनुचित साधनों का ज्ञान

अत: निष्कर्षत: हम कह सकते है कि उपर्युक्त प्रकार के कर्मो पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इनमें इच्छा या संकल्प का आभाव रहता है। ये नीतिशून्य कर्म में नैतिक गुणों का आभाव पाया जाता है। इसलिए पी॰ बी॰ चटर्जी ने ठीक ही कहा है, "The word 'non-moral' means that which is devoid of moral quality." नीतिशून्य कर्मो के विषय में नैतिक औचित्य या अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

Scanned by TapScanner